Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-12, Issue-1, June-2018

बुन्देलखण्ड में स्थानीय निकायों का विकासः मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में

ब्रजेन्द्र कुमार
इतिहास विभाग,डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)ई.मेल–brijendramed14@gmail.com
मो.–9005564696

एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विकास की प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण पर निर्भर होती है, फिर चाहे वह संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण हो या सत्ता का। मानव अपने क्रमिक विकास के साथ केन्द्रीकरण से विकेन्द्रीकरण की दिषा में बढ़ता गया, ताकि विकास की प्रकिया में सबकी भागीदारी को सुनिष्चित किया जा सके। ऐतिहासिक विकास के चरणों में दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से मनुष्य ने समुदाय बना कर सामुदायिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। सामुदायिक उत्तरदायित्व को सुनिष्चित कर स्थानीय आवष्यकताओं की पूर्ति आपसी सामंजस्य करके एक व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया गया जो स्थानीय निकायों के रूप में दिखाई पड़ता है।

भारत में प्राचीनकाल में स्थानीय निकायों का प्रमाण 10वीं षताब्दी के चोलकालीन उत्तरमेरूर अभिलेख से मिलता है, जहाँ पर स्थानीय षासन विभिन्न प्रकार की समितियों को गठित करके किया जाता था। भारत में प्राचीनकाल से स्थानीय षासन स्वषासित रहा है और सदियों तक यह आत्म–निर्भर तथा स्वनियन्त्रित रहा है। मध्यकाल में भी इन संस्थाओं में कोई विषेष परिवर्तन दिखाई नहीं पड़तें हैं। इन संस्थाओं में परिवर्तन ब्रिटिषकाल में होने आरम्भ होते हैं, जब एक नई प्रषासनिक संरचना का विकास किया जाता है। 18वीं सदी में मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने से एक ओर क्षेत्रीय राज्यों का विकास तेजी से होता है। दूसरी ओर ब्रिटिषकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आपको राजनीतिक रूप से मजबूत करने लगती है। कंपनी क्षेत्रीय षक्तियों के साथ गठजोड़ तथा षक्ति प्रदर्षन के द्वारा भारतीय भू–भाग पर अधिकार करती जाती है। इन अधिकृत भू–भागों को सर्वप्रथम प्रेसीडेंसी नगरों के नाम से जाना जाता है जो व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकसित किए गए थे। कंपनी ने मद्रास, बंबई तथा बंगाल में ब्रिटिष षासित प्रांतों का गठन करके एक नई प्रषासनिक व्यवस्था लागू की। धीरे–धीरे कंपनी ने अन्य क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया और नये प्रांतों का गठन किया गया, अब देष में दो तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ती है– एक ब्रिटिष षासित क्षेत्र तथा दूसरे देषी रियासतें जो देषी राजाओं द्वारा षासित हो रहीं थीं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी कंपनी तथा देषी रियासतों का षासन दिखाई पड़ता है।

वर्तमान बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेष का दक्षिणी भाग एवं मध्य प्रदेष का उत्तरी भाग है। इसका भौगोलिक विस्तार 23^0 10′ और 26^0 27′ उत्तरी अक्षांष और 78^0 4′ तथा 81^0 34′ पूर्वी देषांतर के मध्य स्थित है। बुन्देलखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 70,000 वर्ग कि. मी. है। बुन्देलखण्ड में उ. प्र. के दो संभाग

(Division) हैं। जिसमें पहला – चित्रकूट धाम मंडल है, जिसमें– बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा महोबा जिले हैं तथा दूसरा झाँसी संभाग है, जिसमें– जालौन, झाँसी तथा ललितपुर जिले हैं। इस प्रकार बुन्देलखण्ड में उत्तर प्रदेष के कुल 7 जिले आते हैं। बुन्देलखण्ड में मध्य प्रदेष के दो संभाग (Division) षामिल किए जाते हैं। जिसमें पहला है– सागर संभाग जिसमें– छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर तथा टीकमगढ जिले हैं, वहीं दूसरा संभाग ग्वालियर है जिसमें दतिया जिले को शामिल किया गया हैं।[1] ब्रिटिषकाल में बुन्देलखण्ड में भी दोनों तरह का षासन ब्रिटिष राज और देषी रियासतों में राजाओं का षासन था। बुन्देलखण्ड में दो तरह की रियासतों का प्रशासन रहा है प्रथम बुन्देला रियासतें तथा दूसरी गैर बुन्देला शासित रियासतें। इन रियासतों के साथ ही बुन्देलखण्ड का कुछ भाग अंग्रेजों ने मराठों से हस्तगत कर लिया था। मराठा पेशवा बाजीराव ने 31 दिसम्बर, 1802 को अपने अधिकार वाला मराठी भू–भाग कम्पनी सरकार को दे दिया था। कर्नल पॉवेल और राजनीतिक प्रतिनिधि जॉन बैली मराठी क्षेत्र पर कब्जा लेने के लिए बुन्देलखण्ड आये। मराठों को बुन्देलखण्ड के गैर मराठी राजा शत्रु मानते थे। अतः मराठों के पुराने शत्रु बुन्देलखण्ड के स्थानीय राजा और मराठों से कब्जेदारी लेने वाले नये शत्रु अंग्रेज दोनों परस्पर मिल गये तथा दोनों गैर क्षेत्रीय मराठों को बुन्देलखण्ड से बेदखल करने के लिये परस्पर संधियों, सनदों एवं इकरारनामों के द्वारा मित्र हो गये।[2] सन् 1818 में मेजर मार्षल ने विनायक राव से सागर–नर्मदा घाटी क्षेत्र ले लिया था, जिसे 1820 में सागर–नर्मदा टेरिटरी के रूप में विकसित किया गया। 1857 के विद्रोह में बगावत का लाभ उठाते हुए मराठा सूबेदार एवं बुन्देलखण्ड के नरेश सक्रिय हो उठे। ओरछा की रीजेन्ट महारानी लड़ई सरकार के नेतृत्व में दतिया, समथर, खनियाधाना, अष्टगढ़ी के राजा, पन्ना, छतरपुर, बिजावर, चरखारी, अजयगढ़, सरीला, लुगासी, बेरी, बावनी, वीहट, आलीपुरा, गौरीहार, जसौं, बरौधा स्टेट्स एवं गरौली के नरेश एकाजुट हो गए थे, कि गैर क्षेत्रीय मराठा सूबेदार अंग्रेजी सेना की बगावत का लाभ उठाकर बुन्देला भूमि पर पुनः सत्ता स्थापित न कर सकें।[3] 1857 के विद्रोह के उपरांत 1886 में बुन्देलखण्ड की एकता को विखडित करने के उद्देश्य से 1886 में 4 प्रशासनिक परिक्षेत्र में विभक्त कर दिया था[4]–

(1) सागर, दमोह, शाहगढ़ और जबलपुर, कटनी, सेन्ट्रल प्रोविंस में मिला कर 1861 में मध्य प्रान्त का गठन कर दिया गया।

(2) झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, संयुक्त प्रान्त में मिला दिये गये।

(3) करैरा, पिछोर, मांडेर, लहर तथा शिवपुरी मध्य भारत ग्वालियर में मिला दिये गये।

(4) शेष पहाड़ी, ककरीला, पथरीला ऊंचा–नीचा मध्य भाग स्थानीय राजाओं का था।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के मध्य प्रदेष के अन्तर्गत आने वाले जिलों में आधुनिक रूप में स्थानीय निकायों की स्थापना सबसे पहले ब्रिटिष षासित क्षेत्रों में की गई, इसके बाद देषी रियासतों में। बुन्देलखण्ड में षहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के स्थानीय निकायों को आधुनिक तरीके से स्थापित किया गया। बुन्देलखण्ड जिसका विलय विन्ध्य प्रदेष में कर लिया गया था के संदर्भ में आन्नद प्रकाष अवस्थी का मानना है कि ''विन्ध्य प्रदेष संघ बनने के पूर्व विलीन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय संस्थाएँ पंचसभा, टप्पा सभा, प्रजा मंडल या चौरस नाम से विद्यमान थीं।''[5] इनके विकास क्रम को वर्तमान मध्य प्रदेष के अन्तर्गत आने वाले बुन्देलखण्ड में षामिल जिलों के संदर्भ में देखा जा सकता है–

छतरपुर जिला– छतरपुर में सन् 1908 के दरबारी आदेश के द्वारा शहर में प्रकाश तथा स्वच्छता व्यवस्था के लिए एक समिति की स्थापना की गई। 1908 में नगरपालिका समिति एक प्रयोग के रूप में अधिनियमित की गई। 1910 में छतरपुर नगरपालिका एक अध्यक्ष जो कि शासकीय पदाधिकारी था, एक अशासकीय उपाध्यक्ष तथा आठ सदस्यों द्वारा जिले से तीन शासकीय सदस्य तथा पांच अशासकीय सदस्य द्वारा संचालित थी। 1912–13 में सीमित निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ कर तथा वयस्क मताधिकार में– (क) उन सभी व्यक्तियों को जो पढ़–लिख सकते हों।

(ख) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 200 रू हों।

(ग) गांवों के सभी मुखियाओं को शामिल कर। स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।[6] 1 अप्रैल, 1935 से छतरपुर रियासत की विधान परिषद ने रियासत में नगरपालिकाओं की कार्य पद्धति के लिए 'नगर सभा अधिनियम' नामक एक पृथक विधान अधिनियमित किया।[7] विन्ध्य प्रदेश के गठन के बाद छतरपुर नगरपालिका प्रथम श्रेणी नगरपालिका के रूप में वर्गीकृत की गयी। 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश के गठन के बाद छतरपुर जिले में म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 वर्ष 1962 से प्रभावशील हुआ।[8] जिले में आने वाले अन्य स्थानीय निकाय हैं – नौगांव में नगरपालिका 1865 में छावनी क्षेत्र (केटोनमेंट) के रूप में स्थापित की गई थी। नौगांव में 30 सितम्बर, 1935 को एक नगरपालिका मण्डल स्थापित किया गया। इसमें छह सदस्य शामिल थे– 2 निर्वाचित, 2 नामानिर्दिष्ट, तथा 2 पदेन। इस प्रकार यह वैधानिक नगरपालिका बन गयी।[9] इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नौगांव म. प्र. में सम्मिलित कर लिया गया तथा अब यह म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के द्वारा प्रशासित होने लगा। महाराजपुर नगर समिति की स्थापना 1939 में हुई, जिसमें 7 सदस्य थे।[10] छतरपुर जिले में घुवारा, सटई, बारीगढ़, बिजावर, गढ़ीमलहरा, बक्सवाहा, चंदला, बड़ा मलहारा, हरपालपुर, लवकुश नगर, खजुराहो तथा राजनगर में नगर परिषद की स्थापना की गई है। छतरपुर जिले में पूरे सागर संभाग के सर्वाधिक मात्रा में नगर परिषदों गठन किया गया। जिले में आने वाले विकासखण्ड तथा पंचायतें हैं–

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायत	कुल ग्राम
1.	बड़ामलहरा	79	165
2.	बारीगढ़	73	150
3.	बिजावर	60	167
4.	बक्स्वाहा	39	131
5.	ईषानगर	81	154
6.	लौंड़ी	65	159
7.	नौगांव	75	124
8.	राजनगर	86	141

स्रोत– पंचायत एण्ड रूरल डेंवलपमेंट डिपार्टमेंण्ट, भोपाल, मध्य प्रदेष, 2018.

दमोह जिला– वर्तमान में दमोह जिला मध्य प्रदेष के सागर संभाग के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आता है। 1818 में दमोह का क्षेत्र ब्रिटिष अधिकारिता में आ गया था तथा कंपनी षासन ने इसे 1820 में सागर–नर्मदा टेरीटरी के तहत सागर जिले का भाग बना दिया था। 1861 में मध्य प्रान्त का गठन होने पर दमोह सागर जिले का एक उप–संभाग बना दिया गया।[14] ब्रिटिषकाल में दमोह में नगरपालिका का गठन पंजाब

नगरपालिका समिति अधिनियम, क्र. 15, 1867 के अधीन किया गया था। बाद में मध्य प्रान्त और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1873, 1889, 1903 और 1922 के द्वारा निकाय की संरचना और षक्तियों में परिवर्तन किए जाते रहे।[15] जिले में हट्टा जो कि ब्रिटिषकाल में एक अधिसूचित क्षेत्र था, में नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अधीन 1954 को नगरपालिका का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य पुनर्गठन होने पर 1 नवम्बर, 1956 को मध्य प्रदेष राज्य का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेष में मध्य प्रदेष नगरपालिका अधिनियम, 1961 लागू कर दिया गया।[16] 1993 में 74 वाँ संविधान संषोधन अधिनियम होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेष में नगरपालिकाओं के विकास के लिए त्रिस्तरीय नगरीय व्यवस्था को लागू किया गया है।[17] वर्तमान में जिले में नगर पंचायतों का गठन तेंदुखेड़ा, पथरिया, हिन्डोरिया तथा पटेरा में किया गया है। ब्रिटिषकाल में जिले में ग्रामीण स्थानीय निकायों का गठन स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1883 के उपबन्धों के अधीन जिला परिषद् और दो स्थानीय परिषदों का गठन किया गया।[18] स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रान्त की सरकार द्वारा 'मध्य प्रान्त तथा बरार स्थानीय स्वषासन अधिनियम' 1948 में पारित किया गया, जो 'जनपद योजना' नाम से जाना गया।[19] भारतीय संविधान में 73वाँ संषोधन किए जाने पर मध्य प्रदेष सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 'मध्य प्रदेष पंचायत राज अधिनियम, 1993, पास किया, जिसे 1994 से लागू किया गया है।[21] इस अधिनियम के अधीन जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की गई है। वर्तमान में जिले में विकास खण्डों तथा ग्राम पंचायतें हैं–

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायत	कुल ग्राम
1.	बटियागढ़	59	205
2.	दमोह	89	266
3.	हटा	57	184
4.	जबेरा	70	218
5.	पटेरा	60	184
6.	पथरिया	62	158
7.	पेंदूखेड़ा	63	220

स्रोत– पंचायत एण्ड रूरल डेंवलपमेंट डिपार्टमेंण्ट, भोपाल, मध्य प्रदेष, 2018.

दतिया जिला– वर्तमान में दतिया मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आने वाला जिला है, जो ग्वालियर संभाग में आता है। ब्रिटिषकाल में दतिया एक देषी रियासत थी, जिस पर बुन्देला राजाओं का राज था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 4 अप्रैल, 1948 को दतिया रियासत को विन्ध्य प्रदेष में मिला लिया गया। राज्य पुनर्गठन के आधार पर 31 अक्टूबर, 1956 को विन्ध्य प्रदेष का विलय कर 1 नवम्बर, 1956 को मध्य प्रदेष राज्य का गठन किया गया, जिसमें दतिया राज्य को भी मिला लिया गया।[11] दतिया में नगरपालिका समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। सन् 1941 से पूर्व नगरपालिका के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे जिसमें केवल पुरूषों को ही मत देने का हक था। 1948 में विन्ध्य प्रदेश का गठन होने पर रीवा रियासत नगरपालिका अधिनियम, 1946 दतिया पर भी लागू किया गया तथा पहले चुनाव जुलाई, 1951 में कराये गये। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद दतिया पर मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 लागू कर दिया गया। सन् 1921 में जहाँ दतिया नगर की जनसंख्या 15,221 थी, वहीं 1961 में यह बढ़कर 29,430 हो गई थी।[12] वर्तमान में

दतिया जिले में नगर परिषदों का गठन भाण्डेर, इंदरगढ़ सेवड़ा तथा बड़ोनी में किया गया है। ग्रामीण स्थानीय स्वषासन के लिए स्वतंत्रता के बाद दतिया में विन्ध्य प्रदेष ग्राम पंचायत अध्यादेष, 1949 पारित कर 13 मई, 1949 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायतों को केवल प्रषासनिक कार्य ही सौंपे गये और न्यायिक कार्य नवनिर्मित संस्था जो न्याय पंचायत कहलाती है, को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होती थी तथा एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते थे। इस अधिनियम के अधीन जिले में 133 पंचायतें गठित की गयीं थीं, जिनमें 65 सेंवढ़ा तहसील में तथा 68 दतिया तहसील में थीं। राज्य पुनर्गठन के उपरान्त दतिया को मध्य प्रदेष में षामिल करने पर जिले में पंचायतों का संचालन मध्य प्रदेष पंचायत अधिनियम, 1962 द्वारा होने लगा।[13] इस नई व्यवस्था द्वारा पंचायत की तीन स्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। 73वाँ संविधान संषोधन किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के जिए 'मध्य प्रदेष पंचायत राज अधिनियम, 1993 पास किया गया जिसे 1994 से लागू किया गया है। वर्तमान में जिले के विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायतें हैं–

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायत	कुल ग्राम
1.	भाण्डेर	68	155
2.	दतिया	131	304
3.	सेवढ़ा	91	222

स्रोत– पंचायत एण्ड रूरल डेंवलपमेंट डिपार्टमेंण्ट, भोपाल, मध्य प्रदेष, 2018.

पन्ना जिला – ब्रिटिषकाल में पन्ना एक देषी रियासत थी, जिस पर बुन्देला वंष का षासन था। 28 अप्रैल, 1948 को पन्ना के राजा को 1,47,300 प्रिवीपर्स देकर राज्य का विलय नवगठित विन्ध्य प्रदेष में कर लिया गया।[21] राज्य पुनर्गठन के समय 31 अक्टूबर, 1956 को विन्ध्य प्रदेष का विलय कर, 1 नवम्बर, 1956 को मध्य प्रदेष का गठन किया गया। पन्ना में नगरपालिका की स्थापना 1906–07 में दरबारी आदेष के तहत की गई थी। जुलाई, 1932 से नगरपालिका समिति ने आदेष के तहत नियम तथा निर्देष के रूप में कार्य करना षुरू कर दिया था तथा 1949 तक नगरपालिका नामांकित सदस्यों से ही गठित होती रही।[22] स्वतंत्रता के बाद विन्ध्य प्रदेष का गठन होने पर पन्ना पर 'रीवा नगरपालिका अधिनियम, 1946' का विस्तार किया गया। इसके तहत नगरपालिका प्रषासन का पुनर्गठन तथा नियंत्रण किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव प्रणाली को लागू किया गया। नगरपालिका ने पूर्ण स्वायत्त निकाय के रूप में 29 दिसम्बर, 1950 से 14 चयनित सदस्यों के साथ कार्य करना षुरू कर दिया था। 1956 में पन्ना को मध्य प्रदेष में विलय कर लिया गया। मध्य प्रदेष सरकार द्वारा षहरी स्थानीय स्वषासन समिति का गठन 1957 में नगरपालिकाओं के संचालन के लिए, नया विधान बनाने के उद्देष्य से किया। समिति की सिफारिषों के आधार पर 'मध्य प्रदेष नगरपालिका अधिनियम, 1961' पारित किया गया जो 1 फरवरी, 1962 से प्रभावी हो गया। जिले में अमानगंज, देवेन्द्र नगर, अजयगढ़ ककरहटी तथा पवई में नगर पालिका परिषद् का गठन किया गया है। जिले में ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों की स्थापना की गयी थी। स्वतंत्रता के उपरान्त जब विन्ध्य प्रदेष बना तब 1949 में विन्ध्य प्रदेष पंचायत नियम बना कर लागू किया गया। 1955–56 में जिले में 209 ग्राम पंचायतें थीं जो कि 1094 ग्रामों की 2,58,703 जनसंख्या को आच्छादित की हुई थीं।[23] 73वें संविधान संषोधन के उपरान्त

जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। जिसके तहत ग्राम स्तर पर 'ग्राम पंचायत', ब्लॉक स्तर पर 'जनपद पंचायत' तथा जिला स्तर पर 'जिला पंचायत' की स्थापना की गयी है। वर्तमान में जिले के विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायतें हैं–

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायत	कुल ग्राम
1.	अजयगढ़	65	121
2.	गुन्नौर	83	226
3.	पन्ना	81	233
4.	पवई	82	214

स्रोत– पंचायत एण्ड रूरल डेंवलपमेंट डिपार्टमेंण्ट, भोपाल, मध्य प्रदेष, 2018.

सागर जिला– ब्रिटिषकाल में सागर सन् 1818 में कंपनी षासन के अधिकार में आ गया तथा सन् 1820 में ब्रिटिष षासित सागर–नर्मदा क्षेत्र बना दिया गया था। सन् 1835 में उत्तर–पष्चिम प्रान्त का गठन किये जाने पर सागर–नर्मदा क्षेत्र को इसमें मिला दिया गया तथा सन् 1861 में मध्य प्रान्त का गठन किए जाने पर सागर को उसमें षामिल कर मध्य प्रान्त का जिला बना दिया गया।[24] ब्रिटिषकाल में जिले में नगरपालिका का गठन 1867 के पंजाब नगरपालिका समिति अधिनियम, क्र. 15, के अधीन 17 मई, 1867 को सागर, देवरी और खुरई में किया गया था। उस समय नगरपालिका के अध्यक्ष को बख्शी कहा जाता था। नगरपालिका के दो–तिहाई सदस्य चयनित होकर तथा एक–तिहाई सदस्य नामित किए जाते थे। जब प्रान्त का प्रथम नगरपालिका अधिनियम अर्थात् मध्यप्रान्त नगरपालिका अधिनियम क्र. 2 1873 लागू किया गया तब तीनों निकायों का पुनर्गठन किया गया।[25] 1882 में रिपन का स्थानीय स्वषासन का प्रस्ताव लाया गया तो मध्य प्रान्त में भी 'मध्य प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1889 क्र. 18 लागू किया गया। इस अधिनियम के अधीन सागर, रेहली, देवरी, खुरई और गढ़ाकोटा में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई। सन् 1901 में रेहली और गढ़ाकोटा की नगरपालिका समितियां समाप्त कर दीं गईं। इसके बाद में मध्य प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1903 लागू किया गया जिसके द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 1903 के अधिनियम के अनुसार बीना–इटावा तथा बामौरा में अधिसूचित क्षेत्र स्थापित किए गए। बाद में मध्य प्रान्त और बरार नगरपालिका अधिनियम, 1922 क्र. 2 के आधार पर 11 दिसम्बर, 1925 को नगरपालिका बना दिया गया।[26] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में गढ़ाकोटा को पुनः नगरपालिका बना दिया गया। सागर में एक स्थायी छावनी की स्थापना, 1 सितम्बर, 1835 को की गई थी इसे 1924 में छावनी मंडल के रूप में विकसित किया गया। सागर नगर पालिका का पुनगर्ठन कर 1981 में नगर निगम के रूप में मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम, 1956 के द्वारा गठन किया गया।[27] सागर में नगर पंचायत का गठन राहतगढ़, बंडा, शाहपुर तथा शाहगढ़ में किया गया है। रेहली, मकरोनिया बुजुर्ग में नगर पालिका परिषद का गठन किया गया है। 74वाँ संविधान संषोधन होने के उपरान्त जिले में त्रिस्तरीय षहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई है। ये तीन स्तर हैं– नगर पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम। ग्रामीण विकास की दिषा में कार्य करने के लिए जिले में 1871 में जिला समिति का गठन किया गया। मध्य प्रान्त स्थानीय स्वषासन अधिनियम, 1883 के द्वारा सागर जिला परिषद् तथा सागर, खुरई, रेहली और बंडा में स्थानीय मंडलों का गठन 1885 में पहली बार किया गया। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मध्य प्रान्त ग्राम पंचायत अधिनियम, 1920 बनाया गया,

इसे 1946 में संषोधित किया गया था। इस अधिनियम को 28 फरवरी, 1947 से लागू किया गया था, इसके तहत् जिले में 1947 में 231 ग्राम पंचायतें गठित कीं गईं। 1956 में राज्य पुनर्गठन के उपरान्त जब मध्य प्रदेष राज्य बनाया गया तब 'मध्य प्रदेष पंचायत अधिनियम क्र. 7, 1962' लागू किया गया। 1958 में जिले में 321 ग्राम पंचायतें और 56 न्याय पंचायतें थीं।[28] 73वें संविधान संषोधन के उपरान्त राज्य द्वारा 'मध्य प्रदेष पंचायत राज अधिनियम, 1993 बनाया गया जिसके तहत जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की गई। वर्तमान में जिले के विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायतें हैं–

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायत	कुल ग्राम
1.	बण्डा	78	181
2.	बीना	64	188
3.	देवरी	70	262
4.	जैसीनगर	62	157
5.	केसली	56	192
6.	खुरई	63	190
7.	मालथौन	62	231
8.	राहतगढ़	81	225
9.	रहली	91	245
10.	सागर	81	169
11.	षाहगढ़	47	132

स्रोत– पंचायत एण्ड रूरल डेंवलपमेंट डिपार्टमेंण्ट, भोपाल, मध्य प्रदेष, 2018

टीकमगढ़ जिला– ब्रिटिषकाल में टीकमगढ़ रियासती राज्य ओरछा की राजधानी था। आजादी के बाद ओरछा राज्य में 17 दिसम्बर, 1947 को बुन्देलखण्ड में सर्वप्रथम उत्तरदायी षासन की स्थापना कर दी गई थी। जब भारत सरकार द्वारा रियासतों को शरतीय संघ में विलय किया गया तो बुन्देलखण्ड की ओरछा रियासत शी एक थी। 12 मार्च, 1948 को ओरछा के राजा वीरसिहं द्वितीय को 1,85,300 रू. का प्रिवीपर्स देकर राज्य को विन्ध्य प्रदेष में मिला लिया गया।[29] 31 अक्टूबर, 1956 को विन्ध्य प्रदेष का विलय कर 1 नवम्बर, 1956 को मध्य प्रदेष राज्य का गठन किया गया तथा टीकमगढ़ को जिला बना दिया गया।[30] जिले में स्थानीय निकायों का विकास षहरी एवं ग्रामीण दोनों स्तरों पर किया गया है। टीकमगढ़ में 1 अक्टूबर, 1930 को नगर समिति की स्थापना की गई। 1948 में विन्ध्य प्रदेश के गठन के बाद प्रतिनिधित्व की कुछ विशेषताएं विकसित होने लगती है तथा जिले में रीवा नगरपालिका अधिनियम, 1946 का विस्तार किया गया। राज्य पुनर्गठन के उपरान्त विन्ध्य प्रदेष का विलय कर 1 नवम्बर, 1956 को मध्य प्रदेष के गठन से टीकमगढ़ जिले को उसमें षामिल कर लिया गया। इसके बाद जिले में मध्य प्रदेष नगरपालिका अधिनियम, 1961 लागू किया गया। वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में 11 नगर पंचायतों का गठन– कारी, तरीचरकलां, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जेरोन खालसा, लिधौरा, बड़ागांव, बलदेवगढ़, खरगापुर, जतारा, पलेरा तथा ओरछा में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बाद में ओरछा में नगर पंचायत का गठन किया गया।[32] जिले में ग्रामीण विकास के लिए ओरछा राज्य में 'टप्पा प्रजा मंडल' की स्थापना 23 अक्टूबर, 1939 को की गई। स्वतंत्रता के उपरान्त और विन्ध्य प्रदेष के गठन के बाद 1949 में विन्ध्य प्रदेष पंचायत विनियम अधिनियमित किया गया। 1955–56 में जिले में 265 ग्राम पंचायतें और 92 न्याय पंचायतें थीं। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय जब मध्य प्रदेष का गठन किया

गया तो टीकमगढ़ को उसमें षामिल कर लिया गया और जिले में मध्य प्रदेष पंचायत अधिनियम, 1962 विस्तारित किया गया।[33] 73वाँ संविधान संषोधन होने पर राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेष पंचायत राज अधिनियम, 1993 बना कर लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। जिले में वर्तमान में विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायतें हैं–

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायत	कुल ग्राम
1.	बल्देवगढ़	80	182
2.	जतारा	93	196
3.	निवाड़ी	71	140
4.	पलेरा	71	152
5.	पृथ्वीपुर	65	144
6.	टीकमगढ़	79	172

स्रोत– पंचायत एण्ड रूरल डेंवलपमेंट डिपार्टमेंण्ट, भोपाल, मध्य प्रदेष, 2018.

आधुनिक भारत में ब्रिटिष सरकार द्वारा राजनीतिक प्रशिक्षण के रूप में स्थानीय निकायों की शुरूआत की गई थी। प्रारम्भ में प्रेसीडेंसी नगरों से जिस प्रकार से स्थानीय निकायों की शुरूआत की गई वो धीरे ब्रिटिश प्रशासित अन्य राज्यों तथा नगरों में भी फैलती गई। जैसे–जैसे ब्रिटिश प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाता गया, उस अधीन क्षेत्रों के विकास के लिए विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अपना कर वहाँ की जनता पर विकास का भार लाद दिया गया तथा सरकार ने सार्वजनिक कार्यों से अपने हाथ खींच लिए। आधुनिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र जो कि ब्रिटिश प्रशासित तथा देशी रियासतों द्वारा शासित था, में स्थानीय निकायों का विकास एक समान नहीं हुआ था।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व देशी रियासतों का वर्चस्व था। इन रियासतों में स्थानीय निकायों के विकास में वहां के राजाओं द्वारा व्यक्तिगत तौर पर कम रुचि ली गयी थी। कुछ जिले जो ब्रिटिश प्रशासित थे, उनमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्थानीय निकायों के लिए कानून बनाये गये थे उन कानूनों द्वारा स्थानीय निकायों की स्थापना तथा संचालन किया गया। ब्रिटिषकाल में स्थानीय निकायों के संदर्भ में यतीन्द्र सिंह सिसोदिया का मानना है कि ''प्रारम्भ में अंग्रेज षासकों ने ग्रामीण स्वषासन के स्थान पर अधिकारी तंत्र को प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय जनता का अधिकाधिक षोषण किया जा सके।''[34] विन्ध्यप्रदेश में रीवा राज्य के सिवाय दतिया, टीकमगढ़ तथा छतरपुर में नगरपालिकायें विद्यमान थीं। राज्यों के विलीनिकरण के पूर्व इन समान्त संस्थाओं में एक समानता इस बात की थी कि उनका सामान्य निरीक्षण तथा नियंत्रण राजा के हाथों में था। वहाँ शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि कार्य कभी भी स्थानीय संस्थाओं को नहीं दिये गये और वे रियासती शासन के अन्तर्गत ही रहते थे। वित्तीय मामलों में रीवा, छतरपुर, दतिया और टीकमगढ़ सरीखी प्रगतिशील रियासतों में नगरपालिकाओं को कुछ शुल्क तथा कर उगाहने के अधिकार थे अन्य मामलों में नगरपालिकाओं को राज्य द्वारा कुछ धन राशि, सहायता तथा अनुदान भी दिये जाते थे।[35]

शोध सारांश– बुन्देलखण्ड में स्थानीय निकायों के विकास की प्रक्रिया देषी रियासतों में राजाओं के षासन के कारण व्यवस्थि दिखाई नहीं पड़ती है। बुन्देलखण्ड की कुछ रियासतसों में देषी राजाओं के द्वारा राजधानी नगरों में आधुनिक नगरपालिकाओं की स्थापना के लिए वैधानिक कदम उठाये गए, वहीं ब्रिटिष षासित बुन्देलखण्ड में ब्रिटिष सरकार ने सुनियोजित तरीके से स्थानीय निकायों का विकास किया। आजादी के

बाद जब सत्ता भारतीयों के हाथ में आयी तब राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया अपना कर भारतीय लोकतंत्र को सषक्त बानाने के लिए भारतीय संविधान की रचना की गई। देष में विकास में जनता की भागीदारी प्राप्त करने तथा सत्ता की षक्तियों का विभाजन करने के लिए विकेन्द्रीकरण को अधार बनाया गया। संविधान के नीति–निर्देषक तत्वों में राज्य को स्थानीय स्वषासन को मजबूत बनाने के लिए निर्देषित किया गया है। इन्हीं के आधार पर 73वें तथा 74वें संविधान के द्वारा षहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार सम्पन्न बनाया गया। मध्य प्रदेष सरकार ने भी 1994 में 73वें तथा 74वें संविधान संषोधन को लागू किया गया, जिससे बुन्देलखण्ड में भी षहरी तथा ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय निकायों को पुनर्गठित कर उन्हें अधिकार संपन्न तथा सषक्त करने की दिषा में कदम बढ़ाये गए।

संदर्भ सूची–

1. प्रकाष, भारतेन्दु और संतोष सत्या, प्रोबलम्स एण्ड पोटेंषियल ऑफ बुन्देलखण्ड विथ स्पेषल रेफरेंस टू वाटर रेसोर्स बेस, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलोजी, दिल्ली, 1998. पृ. 7.
2. तिवारी, कपिल, बुन्देली : इतिहास और संस्कृति, आदिवासी लोक कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल, 2005, पृ. 29.
3. वही, पृ. 33.
4. त्रिपाठी, काषीप्रसाद, बुन्देलखण्ड का बृहद इतिहास, समय प्रकाषन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 386.
5. अवस्थी, अनन्द प्रकाष, मध्यप्रदेष में स्थानीय प्रषासन, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2010, पृ. 72.
6. मध्य प्रदेष जिला गजेटियर छतरपुर जिला, गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, भोपाल, 1994, पृ. 256.
7. छतरपुर राज्य नगर सभा अधिनियम, 1935,पृ.1.
8. मध्य प्रदेष जिला गजेटियर छतरपुर जिला, गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, भोपाल, 1994, पृ. 259.
9. वही, पृ. 262.
10. वही, पृ. 263.
11. त्रिपाठी, काषीप्रसाद, बुन्देलखण्ड का बृहद इतिहास, समय प्रकाषन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 411.
12. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर दतिया़ जिला ,गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1992. पृ. 217–18.
13. वही, पृ. 222.
14. मिश्रा, जयप्रकाष, मध्य प्रदेष का इतिहास खण्ड–3, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल,2014. पृ. 98.
15. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर दमोह जिला, गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1980, पृ. 333.
16. वही, पृ. 234.
17. अवस्थी, अनन्द प्रकाष, मध्यप्रदेष में स्थानीय प्रषासन, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2010, पृ. 76.
18. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर दमोह जिला, गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1980, पृ. 344.
19. माहेष्वरी, एस. आर., भारत में स्थानीय स्वषासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा,2016, पृ. 33.
20. अवस्थी, अनन्द प्रकाष, मध्यप्रदेष में स्थानीय प्रषासन, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2010, पृ. 77.
21. त्रिपाठी, काषीप्रसाद, बुन्देलखण्ड का बृहद इतिहास, समय प्रकाषन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 141.
22. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर पन्ना जिला ,गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1994, पृ. 274.
23. वही, पृ. 279.
24. मिश्रा, जयप्रकाष, मध्य प्रदेष का इतिहास खण्ड–3, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल,2014. पृ. 97.

25. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर सागर जिला, गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1970, पृ. 382.
26. वही, पृ. 383.
27. वही, पृ. 384.
28. वही, पृ. 385.
29. त्रिपाठी, काषीप्रसाद, बुन्देलखण्ड का बृहद इतिहास, समय प्रकाषन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 96.
30. वही, पृ. 411.
31. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर टीकमगढ़ जिला ,गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1995. पृ. 264.
32. वही, पृ. 264.
33. वही, पृ. 274.
34. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह, मध्य प्रदेष में पंचायत राज व्यवस्था : विविध आयाम, मध्य प्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, शेपाल, 2011, पृ.11.
35. प्रसाद, रामायण, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विंध्य प्रदेष, षोध ग्रंथ, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर, 1661. पृ. 7.